

:: नियमावली ::

नाम : तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विकास संस्थान
पता : ग्रा० व पो० ताजपुर कुण्डा प्रतापगढ़
कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

(अ) आजीवन सदस्य :

संस्था को १०००१/रु० नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वाले संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

(ब) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में १०१/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

६. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर ।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
3. लगातार तीन बैठकों में अकारण अनुपस्थिति रहने पर,
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर ।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर ।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर ।

७. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे,

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

८. साधारण सभा :

(अ) गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

(ब) बैठकें :

साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक व विशेष बैठकों की आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना १५ दिन व विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी ।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम २/३ होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत् ही रहेंगे ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तय की जायेगी ।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :

- (१) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- (२) वार्षिक आय व्यय-वजट का पारित करना ।
- (३) नियमों व विनियमों में ३/५ के बहुमत में संशोधन कार्यवाही करना ।

९. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जाएगा । जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा ४ सदस्य इस प्रकार कुल ७ व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी ।

(ब) बैठकें :

श्रीमती श्रीवास्तव

निधि केशरवानी

Ramjoshi

Neetu Singh

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठका का आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम २/३ होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेंगे।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

- (१) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
- (२) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।
- (३) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- (४) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
- (५) उप समितियों के उप नियमों को बनाना व पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(ल) कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

१०. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(१) अध्यक्ष :

- (१) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (२) समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
- (३) बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
- (४) त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

(२) प्रबन्धक:

- (१) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- (२) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- (३) कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, वेतन वृद्धि, वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।
- (४) संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
- (५) सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा सदस्यों से चन्दा प्राप्त कर यथा विधि रसीद देना।

(३) कोषाध्यक्ष:

- (१) हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- (२) संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा करना।
- (३) संस्था के विकास उन्नति के लिये कार्य करना।
- (३) संस्था के कार्यों में सहयोग देना।

रामजी

श्रीवास्तव

रामजी

Deepa

श्रीवास्तव

Ramji

पुल्पा मौर्या

निधि केशरवानी

Neetu Singh